अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबंध

5.1.1.1 यात्री एवं माल कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, चंडीगढ़ के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहनों के मालिक का आवास अथवा व्यापार का स्थल है जहां राज्य में वाहन सामान्यत: रखे जाते हैं, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाए जाने अपेक्षित हैं।

5.1.1.2 वाहनों पर कर

यात्री एवं माल कर के लिए मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कण्डक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है तथा राज्य में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रबंध हेतु उत्तरदायी है और परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करता है, द्वारा सहायता प्राप्त है। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 57 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में, टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स, पंजीकृत फीस, परमिट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, कंडक्टर लाइसेंस फीस, पेनल्टीज तथा नेशनल परमिट स्कीम के अंतर्गत संयुक्त फीस से संबंधित 67 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,631 मामलों में ₹ 4.03 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो **तालिका 5.1** में निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
क: परिवहन विभाग (वाहनों पर कर)			
1	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• भारी/हल्के परिवहन वाहनों के मालिकों से परमिट/प्रतिहस्ताक्षर फीस	234	0.12
	• अन्य राज्यों से अन्तरित वाहनों पर पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स	58	0.01
2	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• बोली धन	23	0.36
	• स्टेज कैरेज बसों/कम्बाइन हारवेस्टर्ज इत्यादि के संबंध में टोकन/रोड टैक्स	84	0.15
	• प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स	323	0.24
	• सहकारी परिवहन समितियों/शैक्षणिक संस्थाओं से यात्री कर	437	2.01
	• माल कर	775	0.45
3	विविध अनियमितताएं	697	0.69
	योग	**2,631**	**4.03**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 176 मामलों में ₹ 39.81 लाख के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से 74 मामलों में आवेष्टित ₹ 13.59 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किए गए 102 मामलों में ₹ 26.22 लाख वसूल किए थे।

₹ 62.42 लाख से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

यात्री एवं माल कर

5.2 सिटी बस आपरेटरों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.पी.जी.टी.) (हरियाणा संशोधन) नियम, 2004 की धारा 9(2ई), जैसा कि 24 फरवरी 2004 से प्रभावी है, में प्रावधान है कि फरीदाबाद एवं गुड़गांव जिलों में नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों पर बसें चलाने के लिए परमिट धारकों द्वारा

निर्धारित दरों[1] पर यात्री कर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। आगे, अधिनियम की धारा 14(बी) के अनुसार, जहां निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता, वाहन का मालिक कर की राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए अगस्त 2012 तथा सितंबर 2013 के मध्य डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा गुड़गांव के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 240 प्राइवेट बस आपरेटरों को, शहरी क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए परमिट दिए गए थे, जिसमें से 53 प्राइवेट बस आपरेटरों ने अप्रैल 2011 और मार्च 2013 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए मासिक यात्री कर जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्ता बस मालिकों से कर वसूल करने के लिए कोई कार्रवाही की थी यह दर्शाने के लिए वहां रिकार्ड में कुछ नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.47 लाख के कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य अवधि के लिए ₹ 10.20 लाख की राशि का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

अगस्त 2012 तथा सितंबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) फरीदाबाद ने मई 2014 में बताया कि ₹ 1.18 लाख की राशि अगस्त 2012 तथा दिसंबर 2013 के मध्य वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) गुड़गांव ने दिसंबर 2013 में बताया कि यात्री एवं माल कर की वसूली के लिए चूककर्ता वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए थे। ब्याज उद्ग्रहण की वसूली तथा कृत कार्रवाई की आगे प्रगति हमें प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

5.3 टैक्सी/मैक्सी मालिकों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत पांच सीट वाली टैक्सी कार पर ₹ 3000 प्रति वर्ष की दर पर तथा सात सीटर से 12 सीटर मैक्सी कैब पर ₹ 100 प्रति सीट प्रति माह की दर पर यात्री कर उद्ग्राहय है। कर, समान त्रैमासिक किश्तों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। चूक के मामले में पेनल्टी तथा ब्याज उद्ग्राहय है।

---

[1] साधारण हाफ बॉडी तथा साधारण फुल बॉडी बसों के लिए क्रमशः ₹ 4,200 तथा ₹ 7,000 प्रति माह। ईंधन के रूप में कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस वाली साधारण फुल बॉडी बसों पर ₹ 8,000 प्रति माह की दर पर यात्री कर उद्गृहीत किया जाता है।

हाफ बॉडी का अर्थ है एक बहुप्रयोजन, जो एक मैक्सी कैब नहीं है तथा एक फुल बॉडी बस नहीं है तथा फुल बॉडी बस का अर्थ है एक बहुप्रयोजन जिसकी क्षमता 35 से अधिक परंतु 54 से अधिक नहीं, व्यक्तियों को ले जाने के लिए साधारण 3X2 बैठने की व्यवस्था के साथ तथा 12 से अधिक परंतु 35 व्यक्तियों से अधिक नहीं व्यक्तियों को ले जाने के लिए लग्जरी 2X2 बैठने की व्यवस्था के साथ होगी।

उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त (यात्री एवं माल कर) {(डी.ई.टी.सी.) (पी.जी.टी.)} के पांच कार्यालयों[2] के अभिलेखों की जनवरी 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 165 कार/मैक्सी मालिकों के संबंध में यात्री कर या तो जमा नहीं करवाया गया था या अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य कम जमा करवाया गया था। कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.90 लाख (₹ 4.23 लाख के ब्याज[3] सहित) के कर की अ/कम वसूली हुई ।

जनवरी 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, सभी डी.ई.टी.सीज ने जनवरी 2014 में बताया कि 17 मामलों में ₹ 1.37 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमें, वसूली तथा ब्याज उद्ग्रहण के लिए की गई कार्रवाई पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

5.4 परिवहन सहकारी समितियों की बसों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

यात्री पथ परिवहन के निजीकरण की स्कीम के अंतर्गत, राज्य के लिंक रूटस पर चलने वाली बसों के परमिट धारकों द्वारा एकमुश्त यात्रीकर बस की सीट क्षमता के आधार पर, 52/54 सीट वाली बसों के लिए ₹ 12,000 तथा 30 सीट वाली बसों के लिए ₹ 6,000 की दर पर तथा मार्च 2007 से प्रभावी, यदि उनके रूट 24 किलोमीटर तक बढ़ाए जाते हैं तो 52/54 सीट वाली बसों के लिए ₹ 16,000 तथा 30 सीट वाली बसों के लिए ₹ 10,000 की मासिक दर पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। चूक के मामले में अधिनियम के अंतर्गत पेनल्टी तथा ब्याज उद्ग्राहय है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, (यात्री एवं माल कर) {(डी.ई.टी.सी.) (पी.जी.टी.)} के पांच कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 54 परिवहन सहकारी समितियों ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मासिक यात्री कर पूर्ण रूप में अथवा आंशिक में जमा नहीं करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.45 लाख के कर (₹ 1.53 लाख के ब्याज[5] सहित) की अवसूली/कम वसूली हुई।

सितंबर 2012 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) झज्जर तथा करनाल ने जनवरी तथा मार्च 2014 के मध्य बताया कि मार्च तथा दिसंबर 2013 के मध्य चार मामलों में ₹ 1.88 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व) तथा सोनीपत ने दिसंबर 2013 तथा मई 2014 के मध्य बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमें, वसूली तथा ब्याज उद्ग्रहण के लिए की गई कार्रवाई पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

---

2 भिवानी, जींद, करनाल, पंचकूला तथा रेवाड़ी।

3 मार्च 2014 तक परिकलित ब्याज।

4 अंबाला कैंट, फरीदाबाद (पूर्व), झज्जर, करनाल तथा सोनीपत।

5 मार्च 2014 तक परिकलित ब्याज।

वाहनों पर कर

5.5 परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीकरण न करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अनुसार, मोटर वाहन का कोई भी मालिक, क्षेत्रीय अथवा राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा प्रतिहस्ताक्षरित वैध परमिट के बिना किसी सार्वजनिक स्थल पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का प्रयोग नहीं करेगा अथवा अनुमत नहीं करेगा चाहे ऐसा वाहन वास्तव में कोई यात्री अथवा माल ले जा रहा है अथवा नहीं। आगे, अधिनियम की धारा 81 में प्रावधान है कि परमिट की वैधता पांच वर्ष है तथा परमिट[6] के समापन की तिथि से 15 दिन पूर्व दिए गए आवेदन पर रिन्यू किया जा सकता है। वैध परमिट के बिना वाहनों को चलाने पर अधिनियम की धारा 192-ए के प्रावधान के अंतर्गत ₹ 2000 की न्यूनतम पेनल्टी लगाई जानी अपेक्षित है।

परिवहन वाहनों के परमिटों के जारी करने तथा रिन्यू करने से संबंधित वर्ष 2012-13 के लिए सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.एज) अंबाला, फरीदाबाद तथा हिसार के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि प्राधिकारियों द्वारा 96 वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में चलाने के लिए, परमिट जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए परमिट जारी किए, परंतु इन वाहनों के मालिकों ने, परमिट की वैधता की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् भी वाहनों के परमिट रिन्यू नहीं करवाए। ये परिवहन वाहन वैध परमिटों के बिना सड़कों पर चलाए जा रहे थे। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इन वाहनों के परमिटों के रिन्यू न करवाने के लिए कोई कारण रिकार्ड नहीं किए गए थे, न ही ये वाहन ऑफ-रोड़ घोषित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.92 लाख की न्यूनतम पेनल्टी सहित ₹ 5.40 लाख की राशि के राजस्व की उगाही नहीं हुई।

नवंबर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर सभी आर.टी.एज ने अप्रैल तथा अक्तूबर 2014 के मध्य बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए सभी चूककर्ता मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे/जारी किए गए थे। हमें वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

---

[6] इस प्रयोजन के लिए फरवरी 1997 में पांच वर्षों के लिए भारी परिवहन वाहनों (एच.टी.वी.) के लिए ₹ 2,625 तथा हल्के परिवहन वाहनों (एल.टी.वी.) के लिए ₹ 1,750 की दर पर परमिट फीस निर्धारित की गई। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 87 में निधारित किए गए अनुसार नेशनल परमिट के लिए प्राधिकार फीस ₹ 1,000 प्रतिवर्ष है।